कार्यालय जिला कलक्टर (रसद), बाँसवाड़ा (राज.)

क्रमांक : एफ 32 ( ) रसद/केरो.आ./2014/603 दिनांक :– 06/04/2016

उप–आवंटन आदेश

खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के आवंटन आदेश क्रमांक एफ 30 (1) खा.वि. केरोसीन/99/ दिनांक 14/06/2006 एवं पत्र क्रमांक एफ 30 (1) खा.वि. केरोसीन/2001/ दिनांक 23/01/2003 के निर्देशो की अनुपालना में खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ(वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के क्लॉज 20 के अध्यधीन जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत केरोसीन की वितरण व्यवस्था सुचारू रूप से बनाये रखने हेतु माह **अप्रेल 2016, एक माह** के लिये केरोसीन का रोस्टर/आवंटन निम्नानुसार जारी किया जाता है। यह रोस्टर माह जनवरी 2016 से मार्च 2016 हेतु आवंटित 1404 केएल प्रतिमाह को यथास्थिति मानते हुए जारी किया जा रहा है।

पंचायत समितिवार/थोक विक्रेतावार केरोसीन का आवंटन/रोस्टर (मात्रा केएल में)

क्र.सं.	क्षेत्र	मैं त्रिपुरा एजेन्सी केरोसीन थोक विक्रेता, कुशलगढ	मैं सिद्धि विनायक केरोसीन थोक विक्रेता, गढी	मैं एट योर डोर केरोसीन थोक विक्रेता, बांसवाडा	मैं सुमतिलाल हजारीमल केरोसीन थोक विक्रेता, बांसवाडा	मैं सांवरिया एजेन्सी केरोसीन थोक विक्रेता, घाटोल	योग
1	नगर बांसवाडा	0.00	27.83	48.62	0.00	5.06	81.51
2	नगर कुशलगढ	0.00	12.65	0.00	0.00	0.00	12.65
3	पं. स. तलवाडा	203.94	0.00	0.00	0.00	0.00	203.94
4	पं. स. छोटी सरवन	76.89	0.00	0.00	0.00	0.00	76.89
5	पं. स. गढी	0.00	0.00	0.00	0.00	252.89	252.89
6	पं. स. आनन्दपुरी	0.00	0.00	0.00	113.74	0.00	113.74
7	पं. स. बागीदौरा	0.00	0.00	0.00	188.43	0.00	188.43
8	पं. स. सज्जनगढ	0.00	127.49	0.00	0.00	0.00	127.49
9	पं. स. कुशलगढ	0.00	113.63	0.00	0.00	0.00	113.63
10	पं. स. घाटोल	0.00	0.00	231.88	0.00	0.00	231.88
	योग	**280.83**	**281.60**	**280.50**	**302.17**	**257.95**	**1403.05**
	योग (कुल आवंटित)	**280.00**	**280.00**	**280.00**	**284.00**	**280.00**	**1404.00**
	आरक्षित	**-0.83**	**-1.60**	**-0.50**	**-18.17**	**22.05**	**0.95**

निर्देश :–

1. ऑयल कम्पनी द्वारा केरोसीन थोक विक्रेताओं को उपरोक्त अंकित केरोसीन की आवंटित मात्रा में परिवर्तन की स्थिति में सम्बन्धित थोक विक्रेता समय पर केरोसीन वितरण से बचे हुए डीलरों की सूची अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करेगा, ताकि उन्हे अन्य थोक विक्रेताओं से केरोसीन उपलब्ध करवाया जा सके। प्राप्त आवंटन की तुलना में वितरण सूची में केरोसीन की मात्रा अधिक होने पर पूर्व स्टॉक से आपूर्ति करेंगे।
2. अतिरिक्त खाद्य आयुक्त महोदय के आदेश क्रमांक एफ 65 (2) खा.वि./ एल.पी.जी./पेपर कटिंग/ 06 दिनांक 18/02/2011 के द्वारा केरोसीन थोक विक्रेताओं को प्रत्येक माह 1 से 14 तारीख के मध्य 70 प्रतिशत तथा 15 से माह की अन्तिम तिथि तक 30 प्रतिशत केरोसीन तेल का उठाव करने एवं दिनांक 1 से 14 एवं 15 से माह की अन्तिम तिथि का पृथक – पृथक रोस्टर जारी करने के निर्देश हैं।
3. बिन्दु संख्या 1 की पालना में पंचायत समितिवार प्रत्येक माह की 1 से 14 (70 प्रतिशत) एवं दिनांक 15 से माह की अन्तिम तिथि का पृथक – पृथक रोस्टर जारी किया गया है। अतः रोस्टर के मुताबिक उचित मूल्य दुकानदारों को केरोसीन वितरण किया जावें।
4. बिन्दु संख्या 1 की पालना में नगर बांसवाडा एवं नगर कुशलगढ के समस्त उचित मूल्य दुकानदारों को प्रत्येक माह की दिनांक 1 से 14 तारीख तक केरोसीन तेल का उचित मूल्य दुकानदारों को वितरण किया जावें।
5. थोक विक्रेता संलग्न सारणी में आवंटित मात्रा के अनुसार ही खुदरा विक्रेताओं को करोसीन की आपूर्ति करेंगे। आवंटित मात्रा से कम/अधिक मात्रा की आपूर्ति नहीं की जावेंगी।
6. समस्त प्राधिकृत केरोसीन थोक विक्रेता विभाग के आदेश क्रमांक एफ 30 (1) खा.वि./केरोसीन/आवंटन/2009 जयपुर दिनांक 20/11/09 की सूचना निर्धारित प्रपत्र में दैनिक सूचना नियमित रूप से जिला रसद अधिकारी, बांसवाडा को प्रस्तुत करेंगे।
7. अधिकृत केरोसीन थोक विक्रेताओं द्वारा टेंकर क्रम संख्या अनुसार आपूर्ति किये गये केरोसीन की सूचना आगामी दिवस को सुबह जिला रसद अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार कार्यालयको संलग्न प्रारूप "ख" में प्रस्तुत की जावेंगी व प्रारूप "क" व "ग" में माह समाप्ति के 3 दिवस में सूचना प्रस्तुत की जावेगी।